

प्रेषक,

निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

श्री ओम प्रकाश मिश्रा, (सेवानिवृत्त)  
पुत्र स्व० रामचन्द्र मिश्रा,  
निवासी—जिगना, पोस्ट बांसगाव,  
जनपद—गोरखपुर।

संख्या— 4डी(1)/2237/कोर्टकेस/2023/

लखनऊ: दिनांक: 18 जनवरी, 2024

विषय:— मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित अवमाननावाद संख्या—9301/2023 ओम प्रकाश मिश्रा बनाम डा० राजागणपति आर०, आई०ए०एस० एवं अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 3.4.2024 के अनुपालन सम्बन्धित सूचना।

महोदय,

उपयुक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या—11फ/प्र०पू०/253/2022/391—93, दिनांक 10.01.2024 तत्संलग्नक प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर के पत्र दिनांक 08.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

उक्त सन्दर्भित पत्रों के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को संज्ञानित किया गया है, कि नियंत्रक अधिकारी द्वारा आपके चिकित्सा प्रतीतिपूर्ति के लम्बित दावों का कोषागार पोर्टल के माध्यम से तकनीकी परीक्षण के उपरान्त संस्तुति की गई धनराशि का भुगतान आपके खाते में स्थानान्तरित की जा चुकी है। साक्ष्य के रूप में सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त पत्रों की छायाप्रति संलग्नकर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न—उपरोक्तानुसार (07 पृष्ठ)।

भवदीया

(डा० रंजना खरे)

निदेशक (मुख्यालय/परिधगत)

संख्या—4डी(1)/2237/कोर्टकेस/2023/430-35 तददिनांक—

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. विशेष सचिव, उ०प्र० शासन, चिकित्सा अनुभाग—4
3. निदेशक, (चिकित्सा उपचार), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
4. प्रभारी विधि प्रकोष्ठ/अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रयागराज मण्डल, प्रयागराज।
5. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर।
6. प्रमुख अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, गोरखपुर को इस आशय से प्रेषित कि श्री ओम प्रकाश मिश्रा, कनिष्ठ सहायक (सेवानिवृत्त), पुत्र स्व० रामचन्द्र मिश्रा, निवासी—जिगना, पोस्ट बांसगाव, जनपद—गोरखपुर स्थानीय स्तर पर अपने स्तर से नियमानुसार तामील कराना सुनिश्चित करें।

(डा० रंजना खरे)

निदेशक (मुख्यालय/परिधगत)